निदेशालय अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, हरियाणा।
बेज न 55–58, सैक्टर–2, पंचकूला
Bays No. 55-58, Sector-2, Panchkula

FIRE

DIRECTORATE OF FIRE AND EMERGENCY SERVICES, HARYANA
Tel: 0172-2570058,
Email: dg-dfs@hry.gov.in,

प्रेषित

श्री राजेन्द्र सिणद,
पालिका रोल, दमकल केन्द्र, कैथल।

यादी कमांकः डी0जी0एफ0एस0/एफ0ए0–1/2026/6331

दिनांकः 01-09-2026

विषयः सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना स्वेच्छापूर्वक ड्यूटी से अनुपस्थित होने, गैरकानूनी रूप से यूनियन की गतिविधियों में भाग लेने व हड़ताल में भाग लेने के फलस्वरूप पालिका रोल पर कार्यरत अग्निशामकों/दमकल चालकों की सेवाएं समाप्त करने बारे।

......

उल्लेख है कि अग्निशामकों व दमकल चालकों का कार्य एक अत्यंत आवश्यक सेवा है तथा इस सेवा को बनाए रखना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, हरियाणा का प्रथम दायित्व एवं उच्च प्राथमिकता है।

2. यह कि आप अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, हरियाणा में **जिला कैथल** में पालिका रोल पर अग्निशामक/दमकल चालक के पद पर कार्यरत होते हुए, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति/बिना किसी पूर्व सूचना के सवेच्छापूर्वक दिनांक 06.08.2026 से लगातार अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे हैं तथा आप गैरकानूनी तौर पर यूनियन की गतिविधियों में शामिल हैं तथा हड़ताल पर हैं। आप अन्य कर्मचारियों को भी हड़ताल में शामिल होने के लिए उक्सा रहे हैं तथा विभाग का कार्य करने से रोक रहे हैं।

3. यह भी आपको भली भांति विदित है कि धारा 51, अग्निशमन एवं आपातकालीन अधिनियम, 2022 के तहत बिना सरकार की पूर्व अनुमति के किसी भी यूनियन से सम्बध होना यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना गैर कानूनी है।

4. आपके इस कृत्य से न केवल अग्निशमन का अत्यंत आवश्यक कार्य बाधित हुआ है बल्कि यह कृत्य आपकी घौर अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है। इससे अन्य कर्मचारियों को भी ऐसा करने का बढ़ावा मिल रहा है। इस प्रकार आप द्वारा धारा 51, अग्निशमन एवं आपातकालीन अधिनियम, 2022 व हरियाणा नागरिक सेवाएं नियमावली, 2016 के प्रावधानों की भी उल्लंघना की गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आपका कार्य एवं आचरण नियमों के विरूद्व है तथा आप द्वारा जनहित व अत्यंत आवश्यक कार्यों की व्यापक अनदेखी की जा रही है। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के मध्यनजर आप अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, हरियाणा में बने रहने के योग्य नहीं हैं। अतः आपके विरूद्व न्यायसंगत कार्रवाई करते हुए आपकी सेवाऐं तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाती हैं।

अग्निशमन केन्द्र अधिकारी (मुख्यालय)
कृते महानिदेशक अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं,
हरियाणा, पंचकूला।

निदेशालय अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, हरियाणा।

बेज नं 55–58, सैक्टर–2, पंचकूला
Bays No. 55-58, Sector-2, Panchkula

DIRECTORATE OF FIRE AND EMERGENCY SERVICES, HARYANA

Tel: 0172-2570058,
Email: dg-dfs@hry.gov.in,

प्रेषित

श्री गुलशन भारद्वाज,
पालिका रोल, दमकल केन्द्र, यमुनानगर।

यादी क्रमांकः डी0जी0एफ0एस0 / एफ0ए0–1 / 2026 / 6330
दिनांकः 01-09-2026

विषयः सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना स्वेच्छापूर्वक ड्यूटी से अनुपस्थित होने, गैरकानूनी रूप से यूनियन की गतिविधियों में भाग लेने व हड़ताल में भाग लेने के फलस्वरूप पालिका रोल पर कार्यरत अग्निशामकों / दमकल चालकों की सेवाएं समाप्त करने बारे।

......

उल्लेख है कि अग्निशामकों व दमकल चालकों का कार्य एक अत्यंत आवश्यक सेवा है तथा इस सेवा को बनाए रखना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, हरियाणा का प्रथम दायित्व एवं उच्च प्राथमिकता है।

2. यह कि आप अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, हरियाणा में **जिला यमुनानगर** में पालिका रोल पर अग्निशामक / दमकल चालक के पद पर कार्यरत होते हुए, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति / बिना किसी पूर्व सूचना के सवेच्छापूर्वक दिनांक 06.08.2026 से लगातार अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे हैं तथा आप गैरकानूनी तौर पर यूनियन की गतिविधियों में शामिल हैं तथा हड़ताल पर हैं। आप अन्य कर्मचारियों को भी हड़ताल में शामिल होने के लिए उक्सा रहे हैं तथा विभाग का कार्य करने से रोक रहे हैं।

3. यह भी आपको भली भांति विदित है कि धारा 51, अग्निशमन एवं आपातकालीन अधिनियम, 2022 के तहत बिना सरकार की पूर्व अनुमति के किसी भी यूनियन से सम्बध होना यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना गैर कानूनी है।

4. आपके इस कृत्य से न केवल अग्निशमन का अत्यंत आवश्यक कार्य बाधित हुआ है बल्कि यह कृत्य आपकी घौर अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है। इससे अन्य कर्मचारियों को भी ऐसा करने का बढ़ावा मिल रहा है। इस प्रकार आप द्वारा धारा 51, अग्निशमन एवं आपातकालीन अधिनियम, 2022 व हरियाणा नागरिक सेवाएं नियमावली, 2016 के प्रावधानों की भी उल्लंघना की गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आपका कार्य एवं आचरण नियमों के विरूद्ध है तथा आप द्वारा जनहित व अत्यंत आवश्यक कार्यों की व्यापक अनदेखी की जा रही है। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के मध्यनजर आप अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, हरियाणा में बने रहने के योग्य नहीं हैं। अतः आपके विरूद्ध न्यायसंगत कार्रवाई करते हुए आपकी सेवाऐं तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाती हैं।

अग्निशमन केन्द्र अधिकारी (मुख्यालय)
कृते महानिदेशक अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं,
हरियाणा, पंचकूला।

निदेशालय अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, हरियाणा।

बेज न 55-58, सैक्टर-2, पंचकूला
Bays No. 55-58, Sector-2, Panchkula

FIRE

DIRECTORATE OF FIRE AND EMERGENCY SERVICES, HARYANA

Tel: 0172-2570058,
Email: dg-dfs@hry.gov.in,

प्रेषित

श्री राजीव खत्री,
पालिका रोल, दमकल केन्द्र, सोनीपत।

यादी कमांकः डी0जी0एफ0एस0/एफ0ए0–1/2026/6329

दिनांकः 01-09-2026

विषयः सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना स्वेच्छापूर्वक ड्यूटी से अनुपस्थित होने, गैरकानूनी रूप से यूनियन की गतिविधियों में भाग लेने व हड़ताल में भाग लेने के फलस्वरूप पालिका रोल पर कार्यरत अग्निशामकों/दमकल चालकों की सेवाएं समाप्त करने बारे।

......

उल्लेख है कि अग्निशामकों व दमकल चालकों का कार्य एक अत्यंत आवश्यक सेवा है तथा इस सेवा को बनाए रखना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, हरियाणा का प्रथम दायित्व एवं उच्च प्राथमिकता है।

2. यह कि आप अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, हरियाणा में **जिला सोनीपत** में पालिका रोल पर अग्निशामक/दमकल चालक के पद पर कार्यरत होते हुए, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति/बिना किसी पूर्व सूचना के सवेच्छापूर्वक दिनांक 06.08.2026 से लगातार अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे हैं तथा आप गैरकानूनी तौर पर यूनियन की गतिविधियों में शामिल हैं तथा हड़ताल पर हैं। आप अन्य कर्मचारियों को भी हड़ताल में शामिल होने के लिए उक्सा रहे हैं तथा विभाग का कार्य करने से रोक रहे हैं।

3. यह भी आपको भली भांति विदित है कि धारा 51, अग्निशमन एवं आपातकालीन अधिनियम, 2022 के तहत बिना सरकार की पूर्व अनुमति के किसी भी यूनियन से सम्बध होना यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना गैर कानूनी है।

4. आपके इस कृत्य से न केवल अग्निशमन का अत्यंत आवश्यक कार्य बाधित हुआ है बल्कि यह कृत्य आपकी घौर अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है। इससे अन्य कर्मचारियों को भी ऐसा करने का बढ़ावा मिल रहा है। इस प्रकार आप द्वारा धारा 51, अग्निशमन एवं आपातकालीन अधिनियम, 2022 व हरियाणा नागरिक सेवाएं नियमावली, 2016 के प्रावधानों की भी उल्लंघना की गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आपका कार्य एवं आचरण नियमों के विरूद्ध है तथा आप द्वारा जनहित व अत्यंत आवश्यक कार्यों की व्यापक अनदेखी की जा रही है। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के मध्यनजर आप अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, हरियाणा में बने रहने के योग्य नहीं हैं। अतः आपके विरूद्ध न्यायसंगत कार्रवाई करते हुए आपकी सेवाऐं तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाती हैं।

अग्निशमन केन्द्र अधिकारी (मुख्यालय)
कृते महानिदेशक अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं,
हरियाणा, पंचकूला।

निदेशालय अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, हरियाणा।

DIRECTORATE OF FIRE AND EMERGENCY SERVICES, HARYANA

बेज न 55-58, सैक्टर-2, पंचकूला
Bays No. 55-58, Sector-2, Panchkula

Tel: 0172-2570058,
Email: dg-dfs@hry.gov.in,

प्रेषित

श्री अरूण कुमार,
पालिका रोल, दमकल केन्द्र, रोहतक।

यादी क्रमांकः डी0जी0एफ0एस0/एफ0ए0–1/2026/6327

दिनांकः 01-09-2026

विषयः सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना स्वेच्छापूर्वक ड्यूटी से अनुपस्थित होने, गैरकानूनी रूप से यूनियन की गतिविधियों में भाग लेने व हड़ताल में भाग लेने के फलस्वरूप पालिका रोल पर कार्यरत अग्निशामकों/दमकल चालकों की सेवाएं समाप्त करने बारे।

......

उल्लेख है कि अग्निशामकों व दमकल चालकों का कार्य एक अत्यंत आवश्यक सेवा है तथा इस सेवा को बनाए रखना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, हरियाणा का प्रथम दायित्व एवं उच्च प्राथमिकता है।

2. यह कि आप अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, हरियाणा में **जिला रोहतक** में पालिका रोल पर अग्निशामक/दमकल चालक के पद पर कार्यरत होते हुए, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति/बिना किसी पूर्व सूचना के सवेच्छापूर्वक दिनांक 06.08.2026 से लगातार अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे हैं तथा आप गैरकानूनी तौर पर यूनियन की गतिविधियों में शामिल हैं तथा हड़ताल पर हैं। आप अन्य कर्मचारियों को भी हड़ताल में शामिल होने के लिए उक्सा रहे हैं तथा विभाग का कार्य करने से रोक रहे हैं।

3. यह भी आपको भली भांति विदित है कि धारा 51, अग्निशमन एवं आपातकालीन अधिनियम, 2022 के तहत बिना सरकार की पूर्व अनुमति के किसी भी यूनियन से सम्बध होना यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना गैर कानूनी है।

4. आपके इस कृत्य से न केवल अग्निशमन का अत्यंत आवश्यक कार्य बाधित हुआ है बल्कि यह कृत्य आपकी घौर अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है। इससे अन्य कर्मचारियों को भी ऐसा करने का बढ़ावा मिल रहा है। इस प्रकार आप द्वारा धारा 51, अग्निशमन एवं आपातकालीन अधिनियम, 2022 व हरियाणा नागरिक सेवाएं नियमावली, 2016 के प्रावधानों की भी उल्लंघना की गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आपका कार्य एवं आचरण नियमों के विरूद्ध है तथा आप द्वारा जनहित व अत्यंत आवश्यक कार्यों की व्यापक अनदेखी की जा रही है। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के मध्यनजर आप अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, हरियाणा में बने रहने के योग्य नहीं हैं। अतः आपके विरूद्ध न्यायसंगत कार्रवाई करते हुए आपकी सेवाऐं तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाती हैं।

अग्निशमन केन्द्र अधिकारी (मुख्यालय)
कृते महानिदेशक अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं,
हरियाणा, पंचकूला।

निदेशालय अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, हरियाणा।

DIRECTORATE OF FIRE AND EMERGENCY SERVICES, HARYANA

बेज न. 55-58, सैक्टर-2, पंचकूला
Bays No. 55-58, Sector-2, Panchkula

Tel: 0172-2570058,
Email: dg-dfs@hry.gov.in,

प्रेषित

श्री जसबीर श्योकंद,
पालिका रोल, दमकल केन्द्र, हिसार।

यादी कमांकः डी0जी0एफ0एस0 / एफ0ए0–1 / 2026 / 6326

दिनांकः 01-09-2026

विषयः सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना स्वेच्छापूर्वक ड्यूटी से अनुपस्थित होने, गैरकानूनी रूप से यूनियन की गतिविधियों में भाग लेने व हड़ताल में भाग लेने के फलस्वरूप पालिका रोल पर कार्यरत अग्निशामकों / दमकल चालकों की सेवाएं समाप्त करने बारे।

......

उल्लेख है कि अग्निशामकों व दमकल चालकों का कार्य एक अत्यंत आवश्यक सेवा है तथा इस सेवा को बनाए रखना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, हरियाणा का प्रथम दायित्व एवं उच्च प्राथमिकता है।

2. यह कि आप अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, हरियाणा में **जिला हिसार** में पालिका रोल पर अग्निशामक / दमकल चालक के पद पर कार्यरत होते हुए, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति / बिना किसी पूर्व सूचना के सवेच्छापूर्वक दिनांक 06.08.2026 से लगातार अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे हैं तथा आप गैरकानूनी तौर पर यूनियन की गतिविधियों में शामिल हैं तथा हड़ताल पर हैं। आप अन्य कर्मचारियों को भी हड़ताल में शामिल होने के लिए उक्सा रहे हैं तथा विभाग का कार्य करने से रोक रहे हैं।

3. यह भी आपको भली भांति विदित है कि धारा 51, अग्निशमन एवं आपातकालीन अधिनियम, 2022 के तहत बिना सरकार की पूर्व अनुमति के किसी भी यूनियन से सम्बध होना यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना गैर कानूनी है।

4. आपके इस कृत्य से न केवल अग्निशमन का अत्यंत आवश्यक कार्य बाधित हुआ है बल्कि यह कृत्य आपकी घौर अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है। इससे अन्य कर्मचारियों को भी ऐसा करने का बढ़ावा मिल रहा है। इस प्रकार आप द्वारा धारा 51, अग्निशमन एवं आपातकालीन अधिनियम, 2022 व हरियाणा नागरिक सेवाएं नियमावली, 2016 के प्रावधानों की भी उल्लंघना की गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आपका कार्य एवं आचरण नियमों के विरूद्ध है तथा आप द्वारा जनहित व अत्यंत आवश्यक कार्यों की व्यापक अनदेखी की जा रही है। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के मध्यनजर आप अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, हरियाणा में बने रहने के योग्य नहीं हैं। अतः आपके विरूद्ध न्यायसंगत कार्रवाई करते हुए आपकी सेवाऐं तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाती हैं।

अग्निशमन केन्द्र अधिकारी (मुख्यालय)
कृते महानिदेशक अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं,
हरियाणा, पंचकूला।

निदेशालय अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, हरियाणा।
बेज न 55-58, सैक्टर-2, पंचकूला
Bays No. 55-58, Sector-2, Panchkula

DIRECTORATE OF FIRE AND EMERGENCY SERVICES, HARYANA
Tel: 0172-2570058,
Email: dg-dfs@hry.gov.in,

प्रेषित

श्री देवेन्द्र लोहान,
पालिका रोल, दमकल केन्द्र, हिसार।

यादी कमांक: डी0जी0एफ0एस0/एफ0ए0-1/2026/6328

दिनांक: 01-09-2026

विषयः सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना स्वेच्छापूर्वक ड्यूटी से अनुपस्थित होने, गैरकानूनी रूप से यूनियन की गतिविधियों में भाग लेने व हड़ताल में भाग लेने के फलस्वरूप पालिका रोल पर कार्यरत अग्निशामकों/दमकल चालकों की सेवाएं समाप्त करने बारे।

......

उल्लेख है कि अग्निशामकों व दमकल चालकों का कार्य एक अत्यंत आवश्यक सेवा है तथा इस सेवा को बनाए रखना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, हरियाणा का प्रथम दायित्व एवं उच्च प्राथमिकता है।

2. यह कि आप अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, हरियाणा में **जिला हिसार** में पालिका रोल पर अग्निशामक/दमकल चालक के पद पर कार्यरत होते हुए, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति/बिना किसी पूर्व सूचना के सवेच्छापूर्वक दिनांक 06.08.2026 से लगातार अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे हैं तथा आप गैरकानूनी तौर पर यूनियन की गतिविधियों में शामिल हैं तथा हड़ताल पर हैं। आप अन्य कर्मचारियों को भी हड़ताल में शामिल होने के लिए उक्सा रहे हैं तथा विभाग का कार्य करने से रोक रहे हैं।

3. यह भी आपको भली भांति विदित है कि धारा 51, अग्निशमन एवं आपातकालीन अधिनियम, 2022 के तहत बिना सरकार की पूर्व अनुमति के किसी भी यूनियन से सम्बध होना यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना गैर कानूनी है।

4. आपके इस कृत्य से न केवल अग्निशमन का अत्यंत आवश्यक कार्य बाधित हुआ है बल्कि यह कृत्य आपकी घौर अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है। इससे अन्य कर्मचारियों को भी ऐसा करने का बढ़ावा मिल रहा है। इस प्रकार आप द्वारा धारा 51, अग्निशमन एवं आपातकालीन अधिनियम, 2022 व हरियाणा नागरिक सेवाएं नियमावली, 2016 के प्रावधानों की भी उल्लंघना की गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आपका कार्य एवं आचरण नियमों के विरूद्ध है तथा आप द्वारा जनहित व अत्यंत आवश्यक कार्यों की व्यापक अनदेखी की जा रही है। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के मध्यनजर आप अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, हरियाणा में बने रहने के योग्य नहीं हैं। अतः आपके विरूद्ध न्यायसंगत कार्रवाई करते हुए आपकी सेवाऐं तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाती हैं।

अग्निशमन केन्द्र अधिकारी (मुख्यालय)
कृते महानिदेशक अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं,
हरियाणा, पंचकूला।

निदेशालय अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, हरियाणा।
बेज न 55-58, सैक्टर-2, पंचकूला
Bays No. 55-58, Sector-2, Panchkula

DIRECTORATE OF FIRE AND EMERGENCY SERVICES, HARYANA
Tel: 0172-2570058,
Email: dg-dfs@hry.gov.in,

प्रेषित

श्री साहुन खान,
पालिका रोल, दमकल केन्द्र, गुरूग्राम।

यादी कमांकः डी0जी0एफ0एस0/एफ0ए0–1/2026/6325

दिनांकः 01-09-2026

विषयः सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना स्वेच्छापूर्वक ड्यूटी से अनुपस्थित होने, गैरकानूनी रूप से यूनियन की गतिविधियों में भाग लेने व हड़ताल में भाग लेने के फलस्वरूप पालिका रोल पर कार्यरत अग्निशामकों/दमकल चालकों की सेवाएं समाप्त करने बारे।

......

उल्लेख है कि अग्निशामकों व दमकल चालकों का कार्य एक अत्यंत आवश्यक सेवा है तथा इस सेवा को बनाए रखना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, हरियाणा का प्रथम दायित्व एवं उच्च प्राथमिकता है।

2. यह कि आप अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, हरियाणा में **जिला गुरूग्राम** में पालिका रोल पर अग्निशामक/दमकल चालक के पद पर कार्यरत होते हुए, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति/बिना किसी पूर्व सूचना के सवेच्छापूर्वक दिनांक 06.08.2026 से लगातार अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे हैं तथा आप गैरकानूनी तौर पर यूनियन की गतिविधियों में शामिल हैं तथा हड़ताल पर हैं। आप अन्य कर्मचारियों को भी हड़ताल में शामिल होने के लिए उक्सा रहे हैं तथा विभाग का कार्य करने से रोक रहे हैं।

3. यह भी आपको भली भांति विदित है कि धारा 51, अग्निशमन एवं आपातकालीन अधिनियम, 2022 के तहत बिना सरकार की पूर्व अनुमति के किसी भी यूनियन से सम्बध होना यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना गैर कानूनी है।

4. आपके इस कृत्य से न केवल अग्निशमन का अत्यंत आवश्यक कार्य बाधित हुआ है बल्कि यह कृत्य आपकी घौर अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है। इससे अन्य कर्मचारियों को भी ऐसा करने का बढ़ावा मिल रहा है। इस प्रकार आप द्वारा धारा 51, अग्निशमन एवं आपातकालीन अधिनियम, 2022 व हरियाणा नागरिक सेवाएं नियमावली, 2016 के प्रावधानों की भी उल्लंघना की गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आपका कार्य एवं आचरण नियमों के विरूद्ध है तथा आप द्वारा जनहित व अत्यंत आवश्यक कार्यों की व्यापक अनदेखी की जा रही है। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के मध्यनजर आप अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, हरियाणा में बने रहने के योग्य नहीं हैं। अतः आपके विरूद्ध न्यायसंगत कार्रवाई करते हुए आपकी सेवाऐं तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाती हैं।

अग्निशमन केन्द्र अधिकारी (मुख्यालय)
कृते महानिदेशक अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं,
हरियाणा, पंचकूला।

निदेशालय अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, हरियाणा।

बेज न 55-58, सैक्टर-2, पंचकूला
Bays No. 55-58, Sector-2, Panchkula

DIRECTORATE OF FIRE AND EMERGENCY SERVICES, HARYANA

Tel: 0172-2570058,
Email: dg-dfs@hry.gov.in,

प्रेषित

श्री मंजीत सिंह,
पालिका रोल, दमकल केन्द्र, कुरूक्षेत्र।

यादी कमांकः डी0जी0एफ0एस0/एफ0ए0-1/2026/6324

दिनांकः 01-09-2026

विषयः सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना स्वेच्छापूर्वक ड्यूटी से अनुपस्थित होने, गैरकानूनी रूप से यूनियन की गतिविधियों में भाग लेने व हड़ताल में भाग लेने के फलस्वरूप पालिका रोल पर कार्यरत अग्निशामकों/दमकल चालकों की सेवाएं समाप्त करने बारे।

......

उल्लेख है कि अग्निशामकों व दमकल चालकों का कार्य एक अत्यंत आवश्यक सेवा है तथा इस सेवा को बनाए रखना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, हरियाणा का प्रथम दायित्व एवं उच्च प्राथमिकता है।

2. यह कि आप अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, हरियाणा में **जिला कुरूक्षेत्र** में पालिका रोल पर अग्निशामक/दमकल चालक के पद पर कार्यरत होते हुए, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति/बिना किसी पूर्व सूचना के सवेच्छापूर्वक दिनांक 06.08.2026 से लगातार अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे हैं तथा आप गैरकानूनी तौर पर यूनियन की गतिविधियों में शामिल हैं तथा हड़ताल पर हैं। आप अन्य कर्मचारियों को भी हड़ताल में शामिल होने के लिए उक्सा रहे हैं तथा विभाग का कार्य करने से रोक रहे हैं।

3. यह भी आपको भली भांति विदित है कि धारा 51, अग्निशमन एवं आपातकालीन अधिनियम, 2022 के तहत बिना सरकार की पूर्व अनुमति के किसी भी यूनियन से सम्बध होना यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना गैर कानूनी है।

4. आपके इस कृत्य से न केवल अग्निशमन का अत्यंत आवश्यक कार्य बाधित हुआ है बल्कि यह कृत्य आपकी घौर अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है। इससे अन्य कर्मचारियों को भी ऐसा करने का बढ़ावा मिल रहा है। इस प्रकार आप द्वारा धारा 51, अग्निशमन एवं आपातकालीन अधिनियम, 2022 व हरियाणा नागरिक सेवाएं नियमावली, 2016 के प्रावधानों की भी उल्लंघना की गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आपका कार्य एवं आचरण नियमों के विरूद्ध है तथा आप द्वारा जनहित व अत्यंत आवश्यक कार्यों की व्यापक अनदेखी की जा रही है। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के मध्यनजर आप अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, हरियाणा में बने रहने के योग्य नहीं हैं। अतः आपके विरूद्ध न्यायसंगत कार्रवाई करते हुए आपकी सेवाऐं तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाती हैं।

अग्निशमन केन्द्र अधिकारी (मुख्यालय)
कृते महानिदेशक अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं,
हरियाणा, पंचकूला।

निदेशालय अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, हरियाणा।

DIRECTORATE OF FIRE AND EMERGENCY SERVICES, HARYANA

बेज न 55–58, सैक्टर–2, पंचकूला
Bays No. 55-58, Sector-2, Panchkula

Tel: 0172-2570058,
Email: dg-dfs@hry.gov.in.

प्रेषित

श्री जय प्रकाश,
पालिका रोल, दमकल केन्द्र, कैथल।

यादी क्रमांकः डी0जी0एफ0एस0 / एफ0ए0–1 / 2026 / 6323

दिनांकः 01-09-2026

विषयः सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना स्वेच्छापूर्वक ड्यूटी से अनुपस्थित होने, गैरकानूनी रूप से यूनियन की गतिविधियों में भाग लेने व हड़ताल में भाग लेने के फलस्वरूप पालिका रोल पर कार्यरत अग्निशामकों / दमकल चालकों की सेवाएं समाप्त करने बारे।

......

उल्लेख है कि अग्निशामकों व दमकल चालकों का कार्य एक अत्यंत आवश्यक सेवा है तथा इस सेवा को बनाए रखना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, हरियाणा का प्रथम दायित्व एवं उच्च प्राथमिकता है।

2. यह कि आप अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, हरियाणा में **जिला कैथल** में पालिका रोल पर अग्निशामक / दमकल चालक के पद पर कार्यरत होते हुए, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति / बिना किसी पूर्व सूचना के सवेच्छापूर्वक दिनांक 06.08.2026 से लगातार अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे हैं तथा आप गैरकानूनी तौर पर यूनियन की गतिविधियों में शामिल हैं तथा हड़ताल पर हैं। आप अन्य कर्मचारियों को भी हड़ताल में शामिल होने के लिए उक्सा रहे हैं तथा विभाग का कार्य करने से रोक रहे हैं।

3. यह भी आपको भली भांति विदित है कि धारा 51, अग्निशमन एवं आपातकालीन अधिनियम, 2022 के तहत बिना सरकार की पूर्व अनुमति के किसी भी यूनियन से सम्बध होना यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना गैर कानूनी है।

4. आपके इस कृत्य से न केवल अग्निशमन का अत्यंत आवश्यक कार्य बाधित हुआ है बल्कि यह कृत्य आपकी घौर अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है। इससे अन्य कर्मचारियों को भी ऐसा करने का बढ़ावा मिल रहा है। इस प्रकार आप द्वारा धारा 51, अग्निशमन एवं आपातकालीन अधिनियम, 2022 व हरियाणा नागरिक सेवाएं नियमावली, 2016 के प्रावधानों की भी उल्लंघना की गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आपका कार्य एवं आचरण नियमों के विरूद्ध है तथा आप द्वारा जनहित व अत्यंत आवश्यक कार्यो की व्यापक अनदेखी की जा रही है। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के मध्यनजर आप अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, हरियाणा में बने रहने के योग्य नहीं हैं। अतः आपके विरूद्ध न्यायसंगत कार्रवाई करते हुए आपकी सेवाऐं तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाती हैं।

अग्निशमन केन्द्र अधिकारी (मुख्यालय)
कृते महानिदेशक अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं,
हरियाणा, पंचकूला।

निदेशालय अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, हरियाणा।

FIRE

DIRECTORATE OF FIRE AND EMERGENCY SERVICES, HARYANA

बेज न 55-58, सैक्टर-2, पंचकूला
Bays No. 55-58, Sector-2, Panchkula

Tel: 0172-2570058,
Email: dg-dfs@hry.gov.in,

प्रेषित

श्री रामपाल,
पालिका रोल, दमकल केन्द्र, करनाल।

यादी क्रमांकः डी0जी0एफ0एस0/एफ0ए0-1/2026/6322

दिनांकः 01-09-2026

विषयः **सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना स्वेच्छापूर्वक ड्यूटी से अनुपस्थित होने, गैरकानूनी रूप से यूनियन की गतिविधियों में भाग लेने व हड़ताल में भाग लेने के फलस्वरूप पालिका रोल पर कार्यरत अग्निशामकों/दमकल चालकों की सेवाएं समाप्त करने बारे।**

......

उल्लेख है कि अग्निशामकों व दमकल चालकों का कार्य एक अत्यंत आवश्यक सेवा है तथा इस सेवा को बनाए रखना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, हरियाणा का प्रथम दायित्व एवं उच्च प्राथमिकता है।

2. यह कि आप अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, हरियाणा में **जिला करनाल** में पालिका रोल पर अग्निशामक/दमकल चालक के पद पर कार्यरत होते हुए, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति/बिना किसी पूर्व सूचना के सवेच्छापूर्वक दिनांक 06.08.2026 से लगातार अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे हैं तथा आप गैरकानूनी तौर पर यूनियन की गतिविधियों में शामिल हैं तथा हड़ताल पर हैं। आप अन्य कर्मचारियों को भी हड़ताल में शामिल होने के लिए उक्सा रहे हैं तथा विभाग का कार्य करने से रोक रहे हैं।

3. यह भी आपको भली भांति विदित है कि धारा 51, अग्निशमन एवं आपातकालीन अधिनियम, 2022 के तहत बिना सरकार की पूर्व अनुमति के किसी भी यूनियन से सम्बध होना यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना गैर कानूनी है।

4. आपके इस कृत्य से न केवल अग्निशमन का अत्यंत आवश्यक कार्य बाधित हुआ है बल्कि यह कृत्य आपकी घौर अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है। इससे अन्य कर्मचारियों को भी ऐसा करने का बढ़ावा मिल रहा है। इस प्रकार आप द्वारा धारा 51, अग्निशमन एवं आपातकालीन अधिनियम, 2022 व हरियाणा नागरिक सेवाएं नियमावली, 2016 के प्रावधानों की भी उल्लंघना की गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आपका कार्य एवं आचरण नियमों के विरूद्ध है तथा आप द्वारा जनहित व अत्यंत आवश्यक कार्यों की व्यापक अनदेखी की जा रही है। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के मध्यनजर आप अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, हरियाणा में बने रहने के योग्य नहीं हैं। अतः आपके विरूद्ध न्यायसंगत कार्रवाई करते हुए आपकी सेवाऐं तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाती हैं।

अग्निशमन केन्द्र अधिकारी (मुख्यालय)
कृते महानिदेशक अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं,
हरियाणा, पंचकूला।